न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 208/2013.

विनोद कुमार पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. सुलतान
3. नेतराम
4. सीताराम

} पि0 देवीलाल अकवाम जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. पानी उर्फ पाना पत्नि अर्जुनराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. सुभाषचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2012
द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी
अनवान ओमप्रकाश आदि बनाम पानी उर्फ पाना प्र. सं. 182/2012

उपस्थितिः—

श्री राजेशदीप राय , अभिभाषक अपीलार्थी
श्री प्रधुम्न परमार, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4, 5/3, व 6
श्री मनोज बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5/1, 5/2

निर्णय दिनांक 8.4.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एक वाद ओमप्रकाश आदि बनाम पानी उर्फ पाना आदि एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या ... चक 4 बीआरएन के खाता संख्या 42/28 में कुल 1.32... हैक्टेयर भूमि ... दर्ज राजस्व रिकार्ड ... प्रतिवादी संख्या–1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 की दादी है तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने चक 4 बीआरएन के खाता संख्या 26/26 में कुल 3.034 हैक्टेयर व चक 4 एमजेडब्ल्यू के खाता संख्या 42/28 के पत्थर नम्बर 198/368 किला नम्बर 3/.159 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आराजी पश्चिम दिशा की आराजी काश्त करने के लिये वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 को बहिस्सा बराबर बांटकर दी हुई है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी अपनी आराजी की रकमराज व आबयाना आदि खजाना में जमा करवाते चले आ रहे हैं व अपनी आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या–1 के नाम रहने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 के विधिक अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है। चक 4 बीआरएम के खाता संख्या 26/26 की 3.034 व चक 4 एमजेडडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 198/368 के किला नम्बर 3/.159 हैक्टेयर (पश्चिमी दिशा) का बहिस्सा बराबर वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 खातेदार हैं तथा प्रतिवादी संख्या–1 का चक 4 बीआरएन के खाता संख्या 26/26 से नाम कलमजन कर चक 4 एमजेडडब्ल्यू के खाता हाजा में से .159 हैक्टेयर आराजी कम कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 के नाम रिकार्ड में अंकन किये जाने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि घराघरू बंटवारा में अपीलांट को प्राप्त है तथा उक्त कृषि भूमि पर कब्जा भी अपीलांट का ही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने मिथ्या आधारों पर वाद पत्र प्रस्तुत कर व रेस्पोडेंट संख्या–5 की वृद्वावस्था व उसकी खराब मानसिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर अभिकथित राजीनामा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने जानबूझकर अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने अपने वाद पत्र में यह कथन किये हैं कि पश्चिम दिशा की आराजी काश्त करने के लिए वादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या–2 को बहिस्सा बांटकर दी हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4/वादीगण ने अपने वाद पत्र में उपरोक्त भूमि में उनका पूर्ववर्ती अधिकार है या नहीं, इस सम्बंध में कोई कथन नहीं है। मात्र काश्त के प्रयोजन हेतु बांटकर देने से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। कानूनन 100/–रूपये से अधिक सम्पति हस्तान्तरित करने के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज होना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट के आधिपत्य व धारण में है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट इस निर्णय एवं डिक्री से विपरीत रूप से प्रभावित है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान तब हुआ जब वह दिनांक 27.11.2012 को पटवारी हल्का से उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी की नकल लेने गया। इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिकी का ज्ञान नहीं था। ज्ञान के दिवस से अपील अन्दर मियाद है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसका कोई जवाब पेश नहीं किया। अपीलंट ने अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं जिनका भी कोई खण्डन रेस्पोडेंट ने नहीं किया है। अतः निवेदन है कि धारा–5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व 6 ने कब्जा के सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये तथा न ही कोई साक्ष्य ली। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में उल्लेखित काश्त के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Roonia
Date: 2022.05.17 12:09:20 IST
Reason: SelfAttested

Lonio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

पारित की है जो विधि अनुसार सही नहीं है व निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय को अपास्त फरमाई जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4, 5/3 व 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को स्वयं को दफा–5 प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र साबित करना है जो उसने साबित नहीं किया। पानी देवी ने अपनी भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व 6 को देने के लिए सहमति प्रकट की है तथा राजीनामा प्रस्तुत किया है। पानी देवी की मानसिक स्थिति सही थी। उपरोक्त भूमि पर कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व 6 का ही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5/1 व 5/2 के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 5/1 व 5/2 का भी हक व हिस्सा है। पानी देवी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा अपीलांट का है तथा उन्होनें भी अपीलांट की बहस का समर्थन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 व 6 ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. व दफरा–5 मियाद अधिनियम का कोई जवाब पेश नहीं किया तथा न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का कोई खण्डन किया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में प्रश्नगत भूमि अपने कब्जा में होने के कथन किये हैं तथा उक्त भूमि घराघरू बंटवारा में प्राप्त होने के कथन किये हैं जिसका कोई खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों का कोई खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया। उक्त परिस्थितियों में धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र व धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार किया जाता है।

8. रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 नें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि काश्त हेतु बांटकर देने के कथन किये हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रश्नगत भूमि में उनका पूर्ववर्ती अधिकार है। मात्र कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2012 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पाना देवी के सभी वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.4.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:20 IST
Reason: SelfAttested

9/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़